निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 41/2009 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये राकेश सोनी, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. माधोराजपुरा, प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले 8.23.775 क्विंटल गेहू व 1.20 क्विंटल चीनी मय बारदाना को राजसात करने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.10.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2009 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार बहमराह प्रर्वतन स्टाफ के साथ उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. माधोराजपुरा, ग्राम पंचायत माधोराजपुरा, तहसील फागी की जांच की गई। मौके पर समिति के सहायक व्यवस्थापक श्री श्रीपाल उपस्थित मिले। जिनकी उपस्थिति में उचित मूल्य दुकान की जांच की गई। उचित मूल्य दुकान की जांच करने पर दुकान में विभिन्न योजनाओं का 40 क्विंटल गेहूँ एवं 2 क्विंटल चीनी स्टॉक में पाई गई। जबकि रिकार्ड के अनुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर विभिन्न योजनाओं का 31.73. 225 क्विंटल गेहूँ एवं 80 किलोग्राम चीनी स्टॉक में होना चाहिये था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन करने पर 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 क्विंटल चीनी अधिक पाई गई। इस अधिक गेहूँ व चीनी बाबत डीलर द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र की शर्तो को उल्लघंन है। अतः मौके पर पाये गये 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 क्विंटल चीनी को जब्त किया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थापक उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. फागी, तहसील फागी की सुपुर्दगी में दिया गया। इस जब्तशुदा 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 क्विंटल चीनी को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं गेहूँ व चीनी जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर जयपुर

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गेहूं एवं चीनी जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 24.09.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित

नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री सी॰ एस॰ मिश्रा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक पर अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उचित मूल्य दुकान की जांच करने पर दुकान में विभिन्न योजनाओं का 40 क्विंटल गेहूँ एवं 2 क्विंटल चीनी स्टॉक में पाई गई। जबकि रिकार्ड के अनुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर विभिन्न योजनाओं का 31.73.225 क्विंटल गेहूँ एवं 80 किलोग्राम चीनी स्टॉक में होना चाहिये था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन करने पर 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 क्विंटल चीनी अधिक पाई गई, जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र की शर्तो उल्लघंन पाया गया है। अतः जब्तशुदा 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं गेहूं व चीनी आवश्यक वस्तु है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 14.09.2009 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गैहूँ एवं चीनी राशनकार्ड धारियों को वितरण किया जाता है इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण उचित मूल्य दुकान में विभिन्न योजनाओं का 40 क्विंटल गेहूँ एवं 2 क्विंटल चीनी स्टॉक में पाई गई। जबकि रिकार्ड के अनुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर विभिन्न योजनाओं का 31.73.225 क्विंटल गेहूँ एवं 80 किलोग्राम चीनी का स्टॉक होना चाहिये था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन करने पर 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 क्विंटल चीनी अधिक पाई गई जो नियम विरूद्ध है। डीलर द्वारा स्टॉक से अधिक गेहूँ एवं चीनी का भण्डारण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र की शर्तो को उल्लघंन है। अतः जप्तशुदा 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 क्विंटल चीनी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 8.23.775 क्विंटल गेहूँ व 1.20 क्विंटल चीनी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त गेहूँ एवं चीनी के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 24.09.2009 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर